



# कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2514 / जि.पं. / 2020,

इन्दौर, दिनांक: 20.04.2020

## —:: आदेश 21 ::—

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 10-02/2020/17 मेडी-2, भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष में म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवेल कोरोना वायरस बिमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/आईडीएसपी/2020/272, दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस **COVID-19** महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र./प्र. स/स्वास/सत्रह/मेडि-3/596, भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के Section 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके हैं। मैं मनीष सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्दौर म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ :-

1. इन्दौर शहरी क्षेत्र में पाये गये **COVID-19** संक्रमित पोजिटिव केस के घरों की जानकारी निम्नानुसार है :-

S.No.	Address
1	326 Main Street Mhow
2	100/18 Balda Colony Mhow Naka Indore
3	453 MG Road Char Bhuja Mandir ke Samne Malharganj Indore

2. इन घरों को **Epicenter** घोषित करते हुये इस घर से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को **कंटेनमेंट एरिया** घोषित किया जाता है। (व्यवहारिक दूरी जोकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं आर.आर.टी द्वारा निर्धारित की जायेगी) ("Containment Area" is defined as Marking of First contact areas of the reported "Positive case") इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा।
3. कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemic Diseases COVID-19 Regulation' 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठन करता हूँ:-

क्र.	क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	नगर निगम अधिकारी
1	मैन स्ट्रीट महू	श्री जयेन्द्र विजयवत, ए. डी.एम. 9425333864	श्री अभिलाष मिश्रा, एस.डी.एम. महू 8826237948	श्री विनोद शर्मा, एस.डी.ओ.पी. महू 7049108496	श्री आधार सिंह, सी.एम.ओ. नगर परिषद महुगांव 9425125084
2	बाल्दा कॉलोनी	श्री विशाल सिंह चौहान, अपर कलेक्टर 9425055506	श्री भूपेन्द्र रावत, डिप्टी कलेक्टर 7049610171	श्री डी.के. तिवारी, सी.एस.पी. सराफा 7587614620	श्री जी.के. कण्ठल, ए.ई. नगर निगम इन्दौर 7440443411

3	एम.जी.रोड (मल्हारगंज)	श्री दिनेश जैन, अपर कलेक्टर 9407183093	श्री राकेश शर्मा, एस.डी.एम. मल्हारगंज 989350663	श्री आशुतोष मिश्रा, सी.एस.पी. मल्हारगंज 7049108491	श्री कमल सिंह चौहान, ईई, नगर पालिका निगम 7440443319
---	--------------------------	---	--	---	--

### कंटेनमेंट ऐरिया

1. संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं कंटेनमेंट ऐरिया में अंदर आना एवं बाहर जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
2. कंटेनमेंट ऐरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलॉजिस्ट, पेटालाजिस्ट, माईक्रोबायोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डायग्नोस्टिक स्टॉफ का गठन किया जायेगा।
3. उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी।
4. समस्त वार्ड वार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता – एलएचवी, ए एन एम, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर (एम.पीडब्ल्यू.-टीबी एच व्ही ) टीम वाईस एपीसेन्टर से प्रतिटीम पचास घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुये निर्धारित प्रोफार्मा-2 में रिपोर्ट आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रति दिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खासी, गले में दर्द, एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
6. समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को कोरेन्टाईन कराना जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सकें।
7. जिनको कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, संबंधित के TRUE कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फॉलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा।
8. आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रेसिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
9. नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा।
10. सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आर आर टी द्वारा परिक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हीत कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हेण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।  
संलग्न :- प्रारूप 2 एवं प्रारूप 5।

  
(मनीष सिंह)  
कलेक्टर

जिला - इन्दौर

इन्दौर, दिनांक: 20.04.2020

पृ. क्रमांक / 2515 / जि.पं. / 2020,

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

5. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, नगर निगम इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अपर कलेक्टर (समस्त), जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
11. श्री बी बी एस तोमर, अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
12. श्री अजय देव शर्मा, प्रभारी अधिकारी (स्क्रीनिंग दल) की ओर प्रेषित कर लेख है कि, तत्काल उक्त कंटेनमेंट ऐरिया में स्क्रीनिंग दल गठित कर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. सिविल सर्जन, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्वसंबंधित ..... की ओर पालनार्थ प्रेषित।

  
कलेक्टर  
जिला - इन्दौर